

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

दिनांक-

क्रमांक- एफ 5(यो)(16)एसीटीएडी/माडा/SCA/करौली/2019-20/

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा),
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.),
करौली।

विषय- विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग- प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 26180-221 दि. 28.06.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रशासनिक स्वीकृति के अनुक्रम में सी.सी. रोड मय नाली निर्माण कार्य हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक 9609-34 दिनांक 12.03.2021 के अनुसार कन्ट्रिजेन्सी चार्ज 1.50 प्रतिशत अनुमत करते हुए, जिसकी अन्तर्गत 0.25 प्रतिशत आयुक्तालय के खाते में आवश्यक मानव संसाधन के नियोजन, क्षेत्रीय निरीक्षण हेतु वाहन उपलब्ध कराने एवं थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन के लिए मॉनिटरिंग हेतु आरक्षित रखते हुए निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है-
कार्यकारी एजेन्सी- ग्राम पंचायत, शहराकर पं.स. टोडामी

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रशा.स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति		वित्तीय स्वीकृति लाख रु	अनुमत कन्ट्रिजेन्सी राशि 1.5% (रु.में)	अनुमत में से जिला परिषद को देय राशि 1.25% (रु.में)	अनुमत में से आयुक्त खाते में आरक्षित राशि 0.25% (रु.में)	देय राशि (प्रथम किश्त) लाख रु
		क्रमांक/दिनांक	राशि लाख रु	क्रमांक/दिनांक	राशि लाख रु					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सी.सी. सड़क/टाईल्स खरंजा निर्माण-भीलो के घर की ओर से पुलिया की ओर, शहराकर	26180-221/ 28.06.2019	10.00	22330/ 10.07.19	9.89	9.89	14840.00	12360.00	2470.00	7.00
2.	सी.सी. सड़क/टाईल्स खरंजा निर्माण-सुनारों की ओर से रोड माता की ओर	26180-221/ 28.06.2019	10.00	22331/ 10.07.19	9.91	9.91	14870.00	12390.00	2480.00	7.00
	योग		20.00		19.80	19.80	29710.00	24750.00	4950.00	14.00

उपरोक्त कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति संख्या 68/2020-21 से राशि रुपये 14.00 लाख मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), करौली को हस्तांतरित करने की स्वीकृति जारी की जाती है।

कार्यों के संपादन में निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे-

1. यदि उपरोक्त स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्यादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब सूचित किया जायें। दोहरे व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।



1 सहेली मार्ग, छेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)

EPABX : 2428721-24 FAX : 0294-2428721

E- Mail : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website : www.tad.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

2. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तों के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
3. निर्वाहद सार्वजनिक भूमि पर ही कार्य कराया जावे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्य पर ही तकसीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णा प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।
5. राजस्थान लोक उद्यान में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं संशोधन नियम, 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
6. ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्य का सम्पादन किया जावेगा एवं नियमानुसार उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शेष राशि उपलब्ध करायेगे।
7. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

भवदीया,
/ /
(प्रज्ञा केवलरमानी)
आयुक्त

क्रमांक- एक 5(यौं)(16)एसीटीएडी/माछा/SCA/करीली/2018-20/15474-84 दिनांक- 22/6/21
प्रतिलिपी -

1. विशिष्ट सहायक, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, करौली।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति संख्या 68/2020-21 से राशि रूपये 14.00 लाख मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामिण), करौली को इस्तांतरित करावे।
5. अतिरिक्त आयुक्त (तृतीय), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, ए-50, गणेश नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, टोडानीम, जिला- करौली।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. लेखाकार (माछा), कार्यालय हाजा।
9. माछा मॉनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
10. कम्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
11. अभियांत्रिकी शाखा, कार्यालय हाजा।
12. गार्ड फाईल।

10
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)